

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावदी रद्द अभिलेख ताद सं- 182 / 2016-17

जाद का प्रकार :- विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1953 की धारा 14 का तहत जारी एवं कारवाई से संबंधित।

191318

आरखण्ड सरकार के आदेश-2014/क. दिनांक 12.06.2014 परमाणु श्री अनुमोदित निदेशक, नू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, सततपूर एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं-3-उठउठिदि-119/55/2306/क. दिनांक 03.09.1992 एवं 16 मार्च 1998 तथा विभाग परिसर सं 514/211 दिनांक 09.12.1992 में दिखित जेबरा के अनुमोदित गैरसजसुब जास भूमि को कायम की गयी जमावदी के तहत कारवाई की गई जोब के काम में हलाक कर्माचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच किया गया है कि निम्नलिखित विवरण है मुझे

मौजा खारपुरा जमा नं. 42 खान सं. 138 एरिया 1.59 एकड़ 0.50 एकड़ भूमि जो गैरसजसुब खाते अनाबाद विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते को अचल भूमि है जिसकी जमावदी का नाम का गत-11-17 जनवरी 1953 पुस्तक मांजी - 140 गाँव मांजी का नाम से कायम है।

इसका कर्माचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचकरात अनुमोदित किया गया है मुझे क. निदेशक कायम जमावदी का सदिरा प्रतिकरित किए गया है।

इसका कर्माचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचकरात अनुमोदित किया गया है कि उपरोक्त जमावदी के तहत सजसुब प्रदायिका से जांच कर/उपरोक्त जमावदी के आधार पर/अचल कोलकर इन्सुलरी के आधार पर/उपरोक्त जमाव निरीक्षण के आधार पर/सजसुब हुकुमाना के आधार पर कार्य की गई है, जिसका अचल निरीक्षण एवं कारवाई की जांच करारात किया है।


प्रमाण दृश्यता उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणों को जमाव की सूचित जमावदी अचल प्रतीत होती है, दिनांक विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1953 की धारा 14 के तहत जारी किया जाना नार्थीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमावदी रद्द करने में विचार कर उपरोक्त नू-सं-3 या सजसुब नू-सं-3/निर्देशक नू-सं-3 की धारा 14 के तहत जमावदी कायम प्रकृत करे कि जो तबत जमावदी को अचल नामत हुए विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1953 की धारा 14 के तहत सजसुब प्रदायिका को रद्द करने हेतु अनुमोदित किया जाय

अभिलेख दिनांक \_\_\_\_\_ को सम्बन्धित करने।

लेखापित एवं संबंधित

अंचल अधिकारी  
बलियापुर

  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर

जमा नं. 42  
 खान सं. 138  
 एरिया 1.59  
 एकड़ 0.50  
 एकड़ भूमि

118/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया।  
वैश्य वंशज द्वारा उपस्थित होकर  
एक कुकुम्भादा वन्देवल्ली के रूप में 6 (छह)  
70-71 की धारा प्रति वर्ष लगान 2 शौद  
वर्ष 1990 तक भी धारा प्रति समर्पित किया  
गया है।

अ. अ. अ. का. का. का. का.

अभिलेख शुद्धि सुधार एवं धारा हरी धारा हरी  
की गेठी।

१६  
वा. १६/१६  
अंचल अधिकारी  
लखनपुर

आदेश क्रमांक- 187

अखिल भारतीय किसान सभ

20/11/50

187

नाम:-

प्रमोद शर्मा, No 140 श्री शर्मा  
श्री शर्मा

द्वारा

आदेश द्वारा उपरोक्त सूचित किया जाता है कि माता-पिता का नाम- 42  
माता नं- 38 पिता नं- 759 पति का नाम- श्री शर्मा  
हो नं- 11 माता-पिता का नाम- श्री शर्मा पति का नाम- श्री शर्मा  
पति का नाम- श्री शर्मा पति का नाम- श्री शर्मा

अल्पम आय उच्च सेवा में नियुक्त- 118/16

भूमि का बंटवारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है।  
सर्वेक्षण फार्म M एवं सरकार में तारीखों के अन्तर्गत किया गया है।  
सर्वेक्षण फार्म पर अन्य बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा।  
भूमि पर शर्तों की पूर्ति करना ही ही बात अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत है।  
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत करें।

समझ रहे कि ऊपरवाले कि स्थिति में अपना पता लिख कर सेवा में आना शुरू  
नहीं करना है तथा उपरोक्त उक्तवचन/संख्याएं एवं आदेशों का पालन करना है।  
इसके अन्तर्गत के संकाय में सुविधा-सुख भित्तिका रखें हुए हैं।  
इसे सख्त ध्यान दें।

दिनांक:-

मुख

अखिल भारतीय

किसान सभ

श्री शर्मा

www.Cricinfo.com

आदेश क्रमांक- 187

अखिल भारतीय किसान सभ  
श्री शर्मा